कौशल विकास कार्यक्रम के समन्वय के लिए इच्छा अभिव्यक्ति

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद राजस्थान के बाड़मेर में शिल्प खंड/समूह में कौशल विकास कार्यक्रम के समन्वय के व्यवस्थापन में सहायता करने में सक्षम संस्थाओं से इच्छा अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है. इच्छुक संस्था से निम्नलिखित विवरणों के साथ दो अलग सीलबंद लिफाफे में अपनी इच्छा अभिव्यक्ति आमंत्रित है:-

लिफाफा 1 - तकनीकी विवरण

लिफाफा 2 - आर्थिक/ व्यावसायिक विवरण

कृपया ध्यान दें, जो संस्थाएं इस तरह की परियोजनाओं को संभालने में सक्षम हैं केवल उन्हें ही आर्थिक/व्यावसायिक बोली के लिए विचार किया जाएगा. इच्छा अभिव्यक्ति निम्न केंद्र में प्रस्तुत की जा सकती है:-

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीएच हाउस, Pkt 6 और 7, सेक्टर सी
वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070
ईमेल: accountsmanager@epch.com
टेलीफोन: 26135256 एक्सटेंशन। 119
Or
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद,
सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) ,
एसपीएल/1, कृषि मंडी के पीछे, रिलायंस के ऑफिस के समीप,
बसनी फेज– I, जोधपुर, राजस्थान.
टेलीफोन : 0291-2721738/ 2720373, फैक्स : 0291-2721739
ईमेल : jodhpur@epch.com

तकनीकी लिफाफे में दो लिफाफे शामिल हैं जो इस प्रकार हैं

1ए – काम का अनुभव

1बी – कार्यप्रणाली

भाग I ए - कार्य का अनुभव

लिफाफे में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:-

1. राजस्थान में कौशल विकास के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव, खासकर बाड़मेर क्षेत्र में. (विस्तृत रिपोर्ट संलग्न करें)

2. संस्था के पास समूह ज्ञान और अनुभव सहित पूरा भौगोलिक ज्ञान भी होना चाहिए. (विवरण संलग्न करें)

3. कृपया जिले में 4,260 शिल्पकारों को कवर करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने में ईपीसीएच की मदद के लिए कार्यप्रणाली और पहले किए गए कार्यों के विवरण और शिल्पाकारों के डेटा का विवरण प्रदान करें.

4. इस आशय के लिए पर्याप्त तथ्य दें, यह विश्वास दिलाते हुए कि दिए गए विवरण संस्था के पास हैं और यकीन दिलाएं कि ये प्रामाणिक हैं. प्रत्येक शिल्प के लिए 100 की संख्या तक डेटा नमूने आवेदन में संलग्न किए जाएं और बाकी का विशेष रूप से उल्लेख करें जो आशय का पत्र निर्गत होने और काम की अंतिम पुष्टि से पहले प्रस्तुत किए जा सकें.

5. जिन संस्थाओं के पास इस समूह में कौशल विकास कार्यक्रम के इस प्रकार का कार्य करने का कम से कम 5 साल का अनुभव है उन्हें महत्व दिया जाएगा.

6. ईपीसीएच तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और केवल तकनीकी रूप से योग्य संस्था की ही बोली पर विचार किया जाएगा. ईपीसीएच के पास किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं को कौशल विकास के समन्वय के कार्य का पूरा काम आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है. ईपीसीएच का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

7. इस कार्यक्रम के तहत कवर किए जाने वाले शिल्प:-
   - लकड़ी के फर्नीचर और शिल्प में प्रशिक्षण (मौलिक एवं उन्नत)
   - धातु और धातु आधारित शिल्प में प्रशिक्षण (मौलिक एवं उन्नत)
   - ऐप्लीक शिल्प में प्रशिक्षण
   - टाई एवं डाई, अस्थि एवं एमओपी कलमकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, हाथ की कढ़ाई, सपाट बुने दरी उत्पादन
   - डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम
   - उद्यमिता अनुस्थापन कार्यक्रम
   - क्षमता निर्माण कार्यक्रम
   - व्यवहार कौशल

हाल के वर्षों में ऊपर वर्णित कार्य के पर्याप्त प्रमाण/दस्तावेज इस आवेदन के साथ प्रस्तुत करें.

भाग I बी - कार्यप्रणाली की पद्धति

4,260 कारीगरों के 2 वर्ष के भीतर (31 मार्च 2019 तक) पूर्ण प्रशिक्षण का प्रारूप विवरण समेत अर्थात उद्देश्य, पाठ्यक्रम और अन्य विवरण दें. (परियोजना संभाल रही संस्था अर्थात ईपीसीएच को) समन्वय प्रदान करने की कार्यप्रणाली बहुत स्पष्ट होनी चाहिए.

समन्वय संस्था की परियोजना के व्यापक कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

1. प्रशिक्षुओं को संचालित करना.
   a. पहचान और नामांकन
   b. शिल्पकारों का पहचान पत्र, बैंक विवरण और फोटो एकत्रित करना
   c. दस्तावेजीकरण– सभी आपेक्षित प्रपत्रों को भरना
2. प्रशिक्षक का संचालन (विशेषज्ञ शिल्पकार)
   a. पहचान एवं प्रलेखन
3. प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं और समन्वयकों के बीच समन्वय पूर्ण भागीदारी और उपस्थिति सुनिश्चित कराना.
   a. आयोजन स्थल की पहचान और अंतिम रूप देना.
   b. प्रशिक्षण सत्र के फोटोग्राफ शामिल होंगे- इनकी केवल सॉफ्ट कॉपी ही सौंपी जाएंगी.
   c. प्रशिक्षण कार्यक्रम का दैनिक पाठ्यक्रम तैयार करना. टिप्पणीः पाठ्यक्रम व्यवहारिक कौशल समेत 25% सिद्धांत आधारित जबकि 75% गतिविधि आधारित होगा.
   d. प्रशिक्षुओं और तृतीय पक्ष को भुगतान के लिए दस्तावेजों का सत्यापन.
4. मासिक रिपोर्ट

लिफाफा 2 : वित्तीय/वाणिज्यिक

समन्यव कार्य और प्रति बैच एकमुश्त आधार पर (40 शिल्पकार प्रति बैच) 45 दिनों के कार्यक्रम के दिनों की संख्या के लिए काम की व्यापकता को पूरा करने हेतु संस्था के शुल्क (सभी करों एवं अतिरिक्त समेत). संस्था द्वारा उद्धृत शुल्क में सभी सरकारी कर शामिल होने चाहिए. ईपीसीएच संस्था को किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान नहीं करेगी.

वित्तीय बोली प्रारूप	
ब्योरा	**राशि (रुपये में)**
45 दिनों के लिए 40 कारीगर प्रति बैच समन्वय शुल्क	
सरकारी कर (यदि कोई है)	
योग	

टिप्पणी: कार्यक्रम स्थल शुल्क, ट्रेनिंग किट/ कच्चा माल/ प्रशिक्षक को भुगतान/ शिल्पकारों को भुगतान/ उपकरण परिषद द्वारा सीधे संबंधित पक्षों को भुगतान किए जाएंगे क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन ईपीसीएच द्वारा किया जाएगा और संस्था की भूमिका केवल गतिविधियों में सहायता/ समन्वय की है.

उपर्युक्त सभी दस्तावेज भारत सरकार के बैनर तले आयोजित योजना का हिस्सा हैं और इसलिए समन्वयक और संस्था में लगे सभी व्यक्ति इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार होंगे, परियोजना की समाप्ति के बाद भी. इसलिए इस परियोजना में लगे सभी व्यक्तियों की समन्वयक/परियोजना प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पुष्टि किए जाने चाहिए और उनके कार्यों की ईपीसीएच को क्षतिपूर्ति करेंगे.

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

भारत सरकार के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रम, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार

क्रियान्वयन संस्थाः हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

समन्वय एजेंसी के लिए प्रस्तुति खाका

भाग ए – पात्रता मापदंड

ए. पात्रता की शर्तें

<table>
<tr><td>ए.1</td><td>संस्था का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>ए.2</td><td>पंजीकृत कार्यालय का पता और संस्था का संपर्क विवरण</td><td>पता:

फोन:</td></tr>
<tr><td>ए.3</td><td>कंपनी/संस्था की कानूनी स्थिति</td><td>(आधिकारिक प्राधिकरण से प्राप्त निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें)
(स्थानीय कर पंजीकरण, टिन, पैन (यदि कोई है) आदि संलग्न करें)</td></tr>
<tr><td>ए.4</td><td>पिछले तीन सालों का वार्षिक कारोबार (आवर्त)</td><td><table><tr><th>क्रम</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>वार्षिक आवर्त</th></tr><tr><td>1</td><td>2015 - 16</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2014-15</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2013-14</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ए.5</td><td>प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण</td><td><table><tr><th>प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम</th><th>स्थान</th><th>शिल्प का नाम</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण संलग्न करें</td></tr>
</table>

भाग–बी

बी. तकनीकी मानदंड

बी.1 कंपनी के अतीत का अनुभव– कौशल विकास प्रशिक्षण

क्रम	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित उम्मीदवार	प्रशिक्षण के लिए शिल्प
1			
2			
3			
4			
5			
	योग		

बी.**2** प्रशिक्षक की संबद्ध योग्यता और अनुभव **(**योग्यता और शिल्प के क्षेत्र में अनुभव)

प्रशिक्षक का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र **/** शिल्प का नाम	शिक्षा**/** डिग्री**/** संस्था	कुल अनुभव	उद्योग में संबद्ध अनुभव के कुल वर्ष	प्रशिक्षण में संबद्ध अनुभव के कुल वर्ष

बी.**3** पिछले 3 वर्षों में केंद्रीय**/**राज्य सरकारों के साथ शुरू की गई परियोजनाएं

क्रम संख्या	**वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**निधि का स्रोत**	**कुल लागत**	**प्रशिक्षण के शिल्प**	**प्रशिक्षुओं की संख्या**

शुरू की गई परियोजनाओं के कार्य आदेश/स्वीकृति आदेश संलग्न करें

बी.**4.** निम्नलिखित पर ध्यान दें**:**

प्रशिक्षण कार्यप्रणाली	500 शब्दों में
कौशल विकास पहल में संस्था का समग्र प्रभाव	500 शब्दों में

(संस्था के लेटरहेड पर मुद्रित करने हेतु)

गैर ब्लैकलिस्टेड/अप्रतिबंधित पार्टी घोषणा

मैं / हम अधोहस्ताक्षरित घोषित करते हैं कि, मैं / हम किसी भी सरकार अथवा अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कभी भी ब्लैकलिस्टेड और / अथवा सौंपे गए अनुबंध के पालन में किसी चूक की वजह से हम पर रोक़ लगाने की कार्रवाई नहीं की गई.

मुहर, हस्ताक्षर एवं संस्था का नाम